कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 22( )लेखा / ई.पेंशन / प्रमुवसं / 2023–24 / 8854-955 . दिनांक : 8.2.24

समस्त वनाधिकारीगण

....

विषय :– आई.एफ.एम.एस. 3.0 के माध्यम से कार्मिकों के मास्टर डाटा संधारण, रजिस्ट्रेशन, संवेतन बिल जनरेशन, कोष प्रणाली, ई–भुगतान, कार्यालयाध्यक्ष घोषित करने की प्रकियाओं के कम में।

सन्दर्भ :– शासन सचिव, वित्त (बजट) के परिपत्र कमांक एफ 5 (थ–75) डीटीए / आईएफएमएस 3.0 / 11 दिनांक 04.10.2023 एवं 9565–764 दिनांक 27.01.2024, 07.02.2024 एवं विभागीय पत्रांक 5501–5625 दिनांक 05.10.2023 के कम में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रांसगिक पत्र के कम में लेख है कि वित्त विभाग द्वारा आईएफएमएस 3.0 के माध्यम से कार्मिको के मास्टर डेटा संधारणं, रजिस्ट्रेशन, संवेतन बिल जनरेशन, कोष प्रणाली, ई–भुगतान, कार्यालयाध्यक्ष घोषित करने की प्रकियाऐं भी विकसित कर उनका संचालन दिनांक 01.02.20224 से प्रारम्भ कर दिया गया है। 1 फरवरी 2024 से कार्मिको के मास्टर डेटा में कोई भी अपडेशन तथा वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 17.06.2021 तथा 31.05.2023 के कम में संवेतन बिलो से संबंधित कोई भी कार्यवाही पे– मैनेजर पर संपादित न हो कर आईएफएमएस 3.0 से ही संपादित की जायेगी।

इसी कम में कार्मिकों के मास्टर डेटा संधारण, रजिस्ट्रेशन, संवेतन बिल जनरेशन, कोष प्रणाली, ई–भुगतान, कार्यालयाध्यक्ष घोषित करने की प्रकियाऐं भी विकसीत कर ली गयी है। इन प्रकियाओं की संवेदनशीलता व प्रत्यक्षतः भुगतान व लेखांकन से सम्बद्धता को दृष्टिगत रखते हुए, गहन जांच एवं सत्यापन हेतु समय सारणी वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 04.10.2023 के साथ संलग्न परिशिष्ठ 'क' में तथा सिस्टम पर उपलब्ध प्रकियाऐं / दिशा निर्देश का विस्तृत विवरण परिपत्र के साथ संलग्न परिशिष्ठ 'ख' पर उपलब्ध है। उक्त परिपत्र की पालना हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 5501–565 दिनांक 05.10.2023 द्वारा पूर्व में निर्देशित किया जा चुका है। यूजर मैन्युअल सिस्टम पर ही उपलब्ध है। इस संबंध में ऑनलाईन प्रशिक्षण कार्यकम भी निदेशालय कोष एवं लेखा के स्तर पर सम्पादित किये जा रहे है। जिसमे भाग लेने हेतु दिनांक 05.02.2024 से 08.02.2024 तक विभागीय व्हाट्स अप ग्रुप पर लिंक शेयर किये गये है।

वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 27.01.2024 द्वारा निर्देशित बिन्दु संख्या 1 से 6 के कम में की गई कार्यवाही एवं बिन्दुवार प्रगति से दिनांक 09.02.2024 तक अवगत करावें। समस्त कार्यालयाध्यक्षों से यह अपेक्षित है कि परिपत्र में वर्णित प्रकियाओं की गहन जांच एवं सत्यापन सुनिश्चित करावे।

हेल्प डेस्क हेतु 0141–2922782, 274402 एवं **employeehelpdesk.ifms@rajasthan**.gov.in पर सम्पर्क किया जा सकता है।

भवदीया

(निधि मेहता)
वित्तीय सलाहकार
वन विभाग राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : एफ 22( )लेखा / ई.पेंशन / प्रमुवसं / 2023–24 / 8956-76 दिनांक : 8.2.24

प्रतिलिपिः– निम्न का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ), राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक ।
3. समस्त अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक।
4. उप वन संरक्षक, सूचना एवं प्रौघोगिकी कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. मुख्य वन संरक्षक (संस्थापन) मुख्यालय राजस्थान जयपुर।
6. नोडल अधिकारी आईएफएमएस 3.0 को भेजकर लेख है कि प्रगति से अवगत करावें।
7. रक्षित पत्रावली।

RajKaj Ref

Signature valid
Digitally signed by Nidhi Mehta
Designation : Financial Advisor
Date: 2024.02.08 17:10:30 IST
Reason: Approved

IA
DCF(IT)
9/2/2024